संख्या-- /VI/2016--52(खेल)/2002

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1-- समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2-- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3-- मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ,
उत्तराखण्ड।

4-- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खेलकूद अनुभाग   देहरादून : दिनांक 14 जुलाई, 2016

विषयः-- राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं में राज्य के विशिष्ट खिलाड़ियों को सेवायोजन/अधिमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि के बाद सफलता अर्जित करने वाले कुशल खिलाड़ियों को राज्याधीन सेवाओं, निगमों परिषदों निकायों विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में Out of Turn नियुक्ति, अधिमान तथा अन्य सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुये निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:

(i) श्रेणी -- I ओलम्पिक खेलों के पदक विजेता खिलाड़ी को विभागों के चिन्हित समूह-ख (ग्रेड पे--5400) के सीधी भर्ती के पदों पर Out of Turn सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(ii) श्रेणी -- II ओलम्पिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप (मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रतियोगितायें) एशियन खेल एवं राष्ट्रमण्डल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को विभागों के चिन्हित ग्रेड पे 4600 व 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर Out of Turn सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(iii) श्रेणी -- III सीफ खेल व राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन एवं राष्ट्रमण्डल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित विश्व चैम्पियनशिप/विश्वकप के प्रतिभागियों (मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा प्रत्येक दो वर्ष अथवा चार वर्ष पर आयोजित होने वाली प्रतियोगितायें), एशियन चैम्पियनशिप/राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ी को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के स्तर एवं उसकी महत्ता के अनुसार विभागों के चिन्हित समूह-'ग' के सीधी भर्ती पदों पर Out of Turn सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(iv) श्रेणी – IV मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में मेडल प्राप्त/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त/मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिताओं से मेडल प्राप्त/भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को चिन्हित् पदों के अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में श्रेणी 'ग' के सीधी के भर्ती के अन्य पदों पर चयन प्रकिया के सभी स्तरो में (साक्षात्कार को छोड़कर) अधिकतम 10 प्रतिशत या 25 अंक, जो भी कम हो, का अधिमान दिया जायेगा। उपर्युक्त खेल/चैम्पियनशिप/कप सम्बन्धित खेल के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय फेडरेशन/संघ/निकाय से मान्यता प्राप्त होनी चाहिये।

- सीनियर प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ी द्वारा आवेदन करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर पदक जीता होना चाहिए तथा जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को आवेदन करने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर पदक जीता होना चाहिए।
- दिव्यांग खिलाड़ियों को भी अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की दिव्यांगो हेतु आयोजित मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त/प्रतिभाग करने पर सम्बन्धित श्रेणीयों में सेवायोजन प्रदान किया जायेगा।

(2) चिन्हित विभाग :– खिलाड़ियों को Out of Turn सेवायोजन/अधिमान दिये जाने हेतु गृह विभाग, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, विद्यालयी शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सीधी भर्ती के समूह–**'ख'** व **'ग'** के पद चिन्हित किये जायेंगे। उक्त विभाग खेल विभाग द्वारा दी गयी आवश्यकतानुसार अपने स्वीकृत विभागीय ढांचें में Out of Turn सेवायोजन हेतु पृथक से पद सृजित करेंगे तथा उक्त सृजित पद निसंवर्गीय होंगे। उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित खिलाड़ियों को भविष्य में पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु पदोन्नति के भी निसंवर्गीय पद आवश्यकतानुसार सृजित किये जा सकेंगे।

विभाग में चिन्हित विद्यमान पदों पर श्रेणी I, II, III के अन्तर्गत वर्गीकृत पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जायेगी। उक्त पदों पर नियुक्त खिलाड़ी को उसी आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत समायोजित किया जायेगा, जिस श्रेणी (SC/ST/OBC/Gen) से वह खिलाड़ी सम्बन्धित होगा।

(3) पात्रता :– विभाग के चिन्हित पदों पर उपरोक्त वर्गीकरण के अनुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी खिलाड़ियों को Out of Turn सेवायोजन/अधिमान दिया जायेगा।

(4) अर्हता: – श्रेणी I, II, III के अन्तर्गत वर्गीकृत पदक विजेता खिलाड़ियों को चिन्हित पदों पर Out of Turn सेवायोजन के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(5) चयन प्रक्रिया :– Out of Turn सेवायोजन के लिए श्रेणी I, II व III में वर्गीकृत उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी पदक विजेता खिलाड़ी सम्बन्धित जनपद के जिला कीड़ाधिकारी की संस्तुति के साथ प्रमाण–पत्र एवं अन्य आवश्यक साक्ष्यों सहित अपना आवेदन पत्र निदेशक, खेल को प्रेषित करेगा। निदेशक, खेल द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा करते हुए पात्र अभ्यर्थियों की सूची अपनी आख्या/प्रस्ताव के साथ सचिव, खेल

विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सचिव, खेल विभाग चयन समिति की बैठक आहूत कराते हुए समस्त विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगे तथा चयन समिति सम्यक विचारोपरान्त निर्धारित मानकों के अनुसार उक्त सूची में से उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की संस्तुति करेगी।

(6) **चयन समिति** :– चयन समिति में मुख्य सचिव–अध्यक्ष, चिन्हित विभागों के प्रमुख सचिव / सचिव–सदस्य, सचिव, खेल विभाग–सदस्य तथा निदेशक, खेल–सदस्य सचिव होंगे। चयन समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात खेल विभाग द्वारा सम्बन्धित विभाग को नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रेषित की जायेगी।

(7) **सेवाकाल में प्रोत्साहन** :– श्रेणी I, II & III के अन्तर्गत Out of Turn सेवायोजित खिलाडी को राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने पर सेवाकाल में प्रोत्साहन के तौर पर वैयक्तिक वेतन के रूप में 01 वेतन वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में 02 वेतन वृद्धि देय होगी। सम्पूर्ण सेवाकाल में इस प्रकार अधिकतम कुल 05 वेतन वृद्धि देय होगी।

उक्त वेतनवृद्वि वैयक्तिक वेतन के रूप में समान दर से सेवानिवृत्ति की तिथि तक प्राप्त होगी, किन्तु पदोन्नति या अन्य कारणों से वेतन निर्धारण करते समय इसका आगणन नहीं किया जायेगा।

(8) **विशेष आकस्मिकता अवकाश** :– सेवा में नियुक्त खिलाड़ियों को सामान्यतया अनुमन्य अवकाश के अतिरिक्त राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल गतिविधियों / कोचिंग / प्रशिक्षण कैम्प में प्रतिभाग हेतु 01 कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश देय होगा।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–547 / VI / 2016–52(खेल) / 2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
4. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मंत्रियों के निजी सचिव को मा0 मंत्रिगणों के सूचनार्थ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

C:\Users\Lenovo\Desktop\August 2015\finance dec 2015\g.o.docx